न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:— 16/2022

प्रार्थीगण :—

1. मंजूदेवी पुत्री श्री बाबूलाल
2. राकेश पुत्र श्री बाबूलाल
3. संजूदेवी पुत्री श्री बाबूलाल
4. सीतादेवी पत्नी श्री बाबूलाल
5. बंशीलाल पुत्र श्री अम्बालाल
6. रामप्रसाद पुत्र श्री अम्बालाल

सभी जातियान कलाल निवासीगण ग्राम खेजड़ला, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :—

1. गजरादेवी पत्नी जयराम
2. सायरी पत्नी श्रीराम
3. रेखा पुत्री श्रीराम
4. रामुदेवी पुत्री श्रीराम
5. सगराम पुत्र श्रीराम
6. संतोष पुत्री श्रीराम
7. गिरधारीराम पुत्र श्री धूलाराम सभी जातियान राईका, निवासीगण ग्राम खेजड़ला, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर राज.
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 131, 136
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

— — — — —

उपस्थिति :— प्रार्थी की ओर से श्री डी.डी.रामावत अधिवक्ता
अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की ओर से श्री अशोक कुमार पटेल अधिवक्ता
अप्रार्थी संख्या 7 अनुपस्थित।
अप्रार्थी संख्या 8 सरकारी पैरोकार।

:: संशोधित आदेश :: दिनांक 31/7/2023

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 319 रकबा 0.5663 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी की कब्जासुदा भूमि है तथा खसरा संख्या 319/2 रकबा 1.1892 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय स्थित है, उक्त भूमि प्रार्थी संख्या 5 की खातेदारी की कब्जासुदा भूमि है, तथा खसरा नम्बर 319/3 रकबा 1.1811 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय स्थित है, उक्त भूमि

उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रार्थी संख्या 6 की खातेदारी की कब्जासुदा भूमि है, तथा खसरा नम्बर 319/4 रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय स्थित है, उक्त भूमि प्रार्थी संख्या 1 से 6 की सयुक्त खातेदारी की कब्जासुदा भूमि है। जिस पर प्रार्थीगण ही काबिज है। उपरोक्त सम्पूर्ण खसरा नम्बर की भूमि पूर्व में मूल खसरा नम्बर 319 का भाग रही है। जिसमें कालान्तर सड़क निकली एवं पक्षकारान प्रार्थीगण में बंटवाड़ा हुआ है तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि भी पूर्व में मूल खसरा नम्बर 329 का भाग रही है। वक्त बंदोबस्त से खसरा नम्बर 329 व 319 के नक्शे की प्रमाणित प्रतियाँ प्रार्थना पत्र के साथ फार्म नम्बर 3 में प्रस्तुत है तदनुसार खसरा नम्बर 319 मौके पर एक चक के रूप में स्थित है। जिसकी पूर्वी माठ रास्ते के लगती हुई दर्शाई है तथा दक्षिणी माठ लगभग पूर्व पश्चिम सीधी दर्शायी है, महज पश्चिमी दक्षिणी कौने मे हल्का मोड़ दर्ज है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि के मूल खसरा नम्बर 319 के दक्षिण तरफ खसरा नम्बर 328 व 329 दर्ज है। उक्त नक्शे की अनदेखी कर अप्रार्थी संख्या 8 ने पक्षकारान में बंटवाड़े के पश्चात् जो तरमीम दर्शायी है वह सेटलमेन्ट के नक्शे के बिल्कुल ही उलट दर्शा दी गयी, जबकि मौके पर सेटलमेन्ट में तैयार नक्शे अनुसार पक्षकारान काबिज है। पक्षकारान को सुनवाई का मौका दिये बगैर ही बिना किसी पक्षकार के आवेदन किये एवं बिना पक्षकारों की सहमति एवं सक्षम अधिकारी/न्यायालय के आदेश के अप्रार्थी संख्या 8 ने खसरा नम्बर 329 के उप खसरा नम्बर को रास्ते व खसरा नम्बर 319 के बीच में अकारण ही दर्शा दिया। जो राजस्व रेकर्ड में महज त्रुटि की परिभाषा में सुमार है मौके पर कब्जे के सम्बंध में पक्षकारान में विवाद नही है। अशुद्ध तरमीम के नक्शे की प्रतियें प्रार्थना पत्र के साथ फार्म नम्बर 3 में दर्शाकर पेश है। मौजूदा नक्शे में उक्त त्रुटि के चलते पक्षकारान में मौके पर जमीन की स्थिति को लेकर कभी भी विवाद बढने की प्रबल संभावना है। उक्त विवाद पक्षकारान की त्रुटि का परिणाम नही है फिर भी राजस्व रेकर्ड में उक्त गलत तरमीम की आड़ में मौके पर जमीन की स्थिति को लेकर पक्षकारान में बेजा विवाद उपजने की प्रबल संभावना है। अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी की आज्ञा व पक्षकारान की सहमति के राजस्व रेकर्ड में गलत तरमीम दर्ज कर दी गयी है, जिसे कायम रखे जाने का कोई कानूनन आधार मौजूद नही है। जिसे दुरूस्त करवाकर प्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में यथास्थान पक्षकारान के कब्जे माफिक तरमीम दर्ज करवाने के विधिक रूप से अधिकारी है। उक्त गलत तरमीम की जानकारी प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकर्ड की दिनांक 07.08.2022 को नकले लेने पर हुई। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को विवादित तरमीम को मौके पर पक्षकारान के कब्जे अनुसार दुरूस्त करने का कई मर्तबा कहा एवं लिखित में आवेदन किया, बावजूद इसके अप्रार्थीगण अब तक इस सम्बंध में पुख्ता कार्यवाही नही की है। जिसके चलते मौके पर पक्षकारान में बेजा पैचिदगिया पैदा हो चुकी है एवं आगे विवाद ओर गहराने की आशंका है। जिसके चलते प्रार्थीगण को मजबूरन अप्रार्थीगण के विरूद्ध मौजूदा प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। अन्त मे प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खेजड़ला स्थित भूमि खसरा नम्बर 319, 319/2, 319/3, 319/4 एवं

उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

खसरा नम्बर 329 व 329/2 की तरमीम दुरूस्त की जाकर पुनः सेटलमेन्ट के नक्शे के मुताबिक मौके पर पक्षकारान के कब्जे अनुसार राजस्व नक्शे में संशोधित तरमीम करने हेतु अप्रार्थी संख्या 8 को आदेशित करावे।

प्राथीगर्ण का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, प्रार्थी अधिवक्ता व अप्रार्थी अधिवक्ता तथा सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा उक्त पत्रावली में दिनांक 27.03.2023 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश जारी किया गया कि ''ग्राम खेजड़ला, तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 319, 319/2, 319/3, 319/4 एवं खसरा नम्बर 329 व 329/2 का मौके पर काबिज अनुसार एवं सेटलमेन्ट सीट अनुसार नाप एवं सीमांकन किया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् तरमीम दुरूस्ती, नाप एवं सीमांकन हेतु पेश किया गया था। जिसमें निर्णित टाईप करवाते समय सहवन से ''ग्राम खेजड़ला, तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 319, 319/2, 319/3, 319/4 एवं खसरा नम्बर 329 व 329/2 का मौके पर काबिज अनुसार एवं सेटलमेन्ट सीट अनुसार नाप एवं सीमांकन कर संशोधित तरमीम किये जाने का आदेश पारित किया जाना था लेकिन उक्त निर्णय में संशोधित तरमीम लिखना छूट गया था।

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी. का पेश किया गया तथा उक्त आदेश में नाप सींमाकत कर संशोधित तरमीम किये जाने का आदेश पारित किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर पूर्व में जारी आदेश दिनांक 27.03.2023 के पृष्ठ संख्या 3 के अन्तिम पैरा को संशोधन किया जाकर उसके स्थान पर **''ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 319, 319/2, 319/3, 319/4 एवं खसरा नम्बर 329 व 329/2 का मौके पर काबिज अनुसार एवं सेटलमेन्ट सीट अनुसार नाप एवं सीमांकन कर संशोधित तरमीम किये जाने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को प्रदान किया जाता है'' पढा जावे।** प्रार्थी नियमानुसार कमीश्नर फीस अप्रार्थी संख्या 8 के पास जमा करवायेगा।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 31/7/2023 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा